न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 256 / 2017 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 03.07.2018	तारीख फैसला 16.03.2018

उनवान

रतनलाल पिता भैरू बलाई निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां

– प्रार्थी

बनाम

1– भंवरलाल पिता नन्दा ढोली निवासी कोठियॉ तह0 फूलियाकलां
2– नारायण पिता कालु रेगर निवासी कोठियॉ तह0 फूलियाकलां
3– तहसीलदार, फूलियाकलां

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) संशोधित नियम 2010 आर0टि0एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री श्यामलाल गुर्जर : अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री विष्णुदत्त शर्मा : अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टि0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कोठियॉ प0ह0 कोठियॉ तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 04 मे अंकित आ0न0 1263 रकबा 0.49 है0 व आ0न0 1264 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0 आ0चा0 जो प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 को प्रतिफल राशि भुगतान कर जरिये पंजीकृत विलेख से खरीद किया गया है। भूमि खरीद करते समय पंजीकृत विक्रय विलेख मे विक्रेता/विपक्षी संख्या 01 की ओर से यह शर्त अनुबन्ध रखा गया कि प्रार्थी अपने खरीद शुदा आराजी भू–भाग मे आवागमन के लिये विपक्षी संख्या 01 के खाते की आराजी नम्बर 1284 रकबा 0.30 है0 व आ0न0 1285 रकबा 0.52 है0 मे रास्ते का उपयोग मेड़ के सहारे सहारे किया जावेगा। प्रार्थी विक्रय विलेख मे

अंकित शर्त अनुबन्ध अनुसार अपनी आराजी मे आवागमन के लिये विपक्षी की आराजी नम्बर 1284 व 1285 मे करते हुए रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख मे रास्ते के उपयोग के लिये जाने वाला भू–भाग बमद रास्ता अंकित किया हुआ नही है। प्राथी अपने खरीद सुदा आराजी भू–भाग मे आवागमन के लिये अन्य किसी प्रकार का रास्ता विकलप नही है। प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 के खाते की आराजी नं0 1284 व 1285 मे 20 फीट चौड़ा रास्ते के लिये राजस्व अभिलेख मेब मद रास्ता दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराये जावे प्राथी विपक्षी को रास्ते की भूमि के लिये डी0एल0सी0 दर के अनुसार कीमत भूमि देने को सहमत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 की आ0न0 1284 व 1285 मे आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.10.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार जिसमे बताया कि विपक्षी से भूमि खरीद करना स्वीकार है शेष इबारत जिस कदर लिखी गई व गलत होकर अस्वीकार है। आ0न0 1284 व 1285 मे मौके पर रास्ता नही है। प्रार्थी आ0न0 1261 व 1262 के लगायत रास्ता आम रास्ता 1288 है जिससे हमेशा के लिये अपनी स्वयं की आराजी 1263, 1264 मे आ जा सकता है। हमेशा इसी रास्ते से होकर आता जाता है और मौके पर रास्ते के आलामात स्थित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। दिनांक 22.09.2017 से तहसीलदार, फूलियाकलां से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 07.12.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे आ0न0 1279 व 1280 का खातेदार नारायण पिता कालु रेगर निवासी कोठियॉ भी प्रभावित व्यक्ति है। अतः विपक्षी पक्षकार के रूप मे संयोजित कराने का आदेश प्रदान करावे। दिनांक 07.12.2017 को तहसीलदार फूलियायकलां से उनके पत्रांक/441 दिनांक 02.11.2017 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा0फा0 की गई। दिनांक 25.01.2018 विपक्षी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पर कोई आपत्ति नही जताई जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधिन उनवान प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 25.01.2018 को प्रार्थी के अधिवक्ता ने संशोधित उनवान प्रस्तुत किया जो शा0फा0 किया गया जिसकी नकल विपक्षी के

वकील को दिलाइ गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी नं0 2 के सम्मन प्रोसेस पेश किये जिससे अप्रार्थी संख्या 02 को तलब किया गया। दिनांक 16.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री विष्णुदत्त शर्मा अधिवक्ता ने अपना अधिकार पत्र पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जवाब विपक्षी संख्या 02 के अनुसार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। दिनांक 15.03.2018 को उभयपक्ष की बहस समायत की गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार फूलियाकलां की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन किया। अभिभाषक विपक्षीगण ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 से भूमि क्रय की गई है किन्तु रास्ते के संबंध मे विक्रय विलेख मे कोई अनुबन्ध नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का भंली भांति अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार, फूलियाकलां के अनुसार वर्तमान मे प्रार्थी अपनी आराजी नं0 1263 रकबा 0.49 है0 व आ0न0 1264 रकबा 0.01 है0 मे जाने हेतु ग्राम कोठियॉं की आबादी से आ0न0 1311 रकबा 0.43 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता बिलानाम गै0का0का0 से होकर अजमेर की सीमा मे से जहॉं खारी नदी है मे से होकर आ0न0 1265, 1266, 1267 मे से होकर अपनी स्वयं की खातेदारी में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता खारी नदी जो अजमेर जिला मे स्थित है मे से होकर गुजर रहा है। बारिश अधिक होने एवं बरसात मे रास्ता बन्द हो जाता है। इस कारण प्रार्थी आ0न0 1279, 1280 खातेदार नारायण पिता कालु रेगर निवासी कोठियॉं मे दक्षिणी मेर से होकर आ0न0 1285 खातेदार भंवरलाल पिता नन्दा ढ़ोली की पूर्वी मेर से होकर गुजरने हेतु रास्ता चाहता है। उक्त आ0न0 1263, 1264 का रास्ता भी पूर्व मे इसी अनुसार जाता था। अतः आ0न0 1279 मे से 80 मीटर, 1280 मे से 80 मीटर, 1285 मे से 400 मीटर कुल 560 मीटर रकबा रास्ता दिया जा सकेगा। उक्त रास्ते की चौड़ाई 12 फीट होगी। प्रार्थी को उक्तानुसार कीमतन रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅंचता हूॅं कि प्रार्थी को अपनी आराजी मे जाने के लिये खारी नदी के अलावा कोई रास्ता नही होने तथा बरसात के रास्ता बन्द हो जाने के कारण

प्रार्थी अपनी आराजी मे नही जा सकता है। अतः तहसीलदार, फूलियाकलां से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठियॉ की विपक्षी नं0 2 की आ0न0 1279 की दक्षिणी मेर से 12 फिट चौड़ा व 80 मीटर लम्बा आ0न0 1280 की दक्षिणी मेर से 12 फिट चौड़ा व 80 मीटर लम्बा व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी नम्बर 1285 की पूर्वी मेर से 12 फिट चौड़ा व 400 मीटर लम्बा अर्थात कुल 12 फिट चौडा व 560 मीटर लम्बा रास्ता विपक्षीगणों को डी0एल0सी0 दर का दुगना भूमि की कीमत अदा करने पर राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां को दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 16.03.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉ ,जिला–भीलवाडा